झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका - 847/2021

दिलीप कुमार (उम्र लगभग 50 वर्ष), पिता स्वर्गीय गोबर्धन सिंह, निवासी ग्राम-परबत्ता, डाकघर+थाना-बरकट्ठा, जिला-हजारीबाग, झारखंड, स्थायी निवासी कल्लाली रोड, तिलैया, डाकघर+थाना+जिला-कोडरमा, झारखंड .....**याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य

2. दुलार चंद्र मोदी, **(**आयु लगभग 76 वर्ष) पिता स्व.जय राम मोदी, निवासी बागोदर, डाकघर+थाना - बागोदर, जिला- गिरिडीह, झारखंड ..... **विपक्ष**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रकाश चंद्र, अधिवक्ता
श्री वीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता
सुश्री नीतू वर्मा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री पंकज कुमार मिश्रा, अपर पीपी
ओ.पी. संख्या 2 के लिए : कोई नहीं

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया। यद्यपि विपक्षी पक्ष संख्या 2 को वैध रूप से नोटिस दिया गया है, लेकिन बार-बार बुलाने के बावजूद विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान जेएमएफसी, हजारीबाग की अदालत में लंबित आईपीसी की धारा 323, 504, 406, 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत विरोध-सह-शिकायत मामला संख्या 746/2019 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता ने बिना किसी दस्तावेजी सबूत के जमीन खरीदने के लिए याचिकाकर्ता को 2,30,000 रुपये दिए लेकिन याचिकाकर्ता ने पैसे नहीं लौटाए और न ही बिक्री विलेख निष्पादित किया जिसके संबंध में उसने पैसे प्राप्त किए थे। शिकायतकर्ता ने पहले एक लिखित रिपोर्ट दर्ज की, उसी के आधार पर,

जीआर केस संख्या 1602/2018 के अनुरूप बरकट्ठा थाना कांड संख्या 98/2018 दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में एक अंतिम प्रपत्र समर्पित किया और याचिकाकर्ता को ट्रायल के लिए नहीं भेजा। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने एक विरोध सह शिकायत याचिका संख्या दायर की। 746/2019 तथा विद्वान जेएमएफसी, हजारीबाग ने शिकायत, गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान तथा जांच गवाह के बयान को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 13.01.2020 के आदेश के तहत, विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 504, 420 तथा 406 के तहत दंडनीय अपराध पाया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायतकर्ता-सूचनाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि शिकायतकर्ता-सूचनाकर्ता ने भूमि की खरीद के लिए 2,30,000/- रुपए का भुगतान किया था, जिसे याचिकाकर्ता न तो वापस कर रहा है और न ही बिक्री विलेख निष्पादित कर रहा है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप झूठे हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने कोई पैसा नहीं लिया है और शिकायतकर्ता ने झूठा आरोप लगाया है कि उसने याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए 2,30,000/- रुपए का भुगतान किया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके पास याचिकाकर्ता को पैसे के भुगतान का कोई सबूत नहीं है और जांच गवाह भी शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को कथित रूप से भुगतान किए गए सटीक पैसे के बारे में नहीं बता सके। इसके बाद यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वास्तव में यह ऐसा मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए यह दलील दी गई कि विरोध-सह-शिकायत मामले संख्या 746/2019 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध-सह-शिकायत प्रकरण संख्या 746/2019 से उत्पन्न सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी करने तथा 2,30,000/- रुपए लेकर, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित न करके आपराधिक विश्वासघात करने का प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट आरोप है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विरोध-सह-शिकायत याचिका में लगाए गए आरोपों, साथ ही शिकायतकर्ता के गंभीर प्रतिज्ञान पर कथन तथा जांच गवाहों के कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504,

420 एवं 406 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किए हैं, अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी आधार के, खारिज की जाए।

6. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में (2005) 10 एससीसी 336** में रिपोर्ट किया है, जिसका पैराग्राफ संख्या 6 इस प्रकार है:-

> **"6.** Xxxx xxxx xxxx यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुबंध का हर उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में कोई धोखा दिया गया था। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखाधड़ी नहीं हो सकती। वर्तमान मामले में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरू में आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था जो कि धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक शर्त है। (जोर दिया गया)"

अनुबंध का हर उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में, अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा; जहां शुरू से ही कोई धोखा हुआ हो। अगर धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखाधड़ी नहीं होगी।

7. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने शुरू से ही धोखाधड़ी की है, न ही रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता को कोई पैसा सौंपने का कोई दस्तावेजी सबूत है। ऐसी परिस्थितियों में, यह अदालत इस विचार पर है कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए अपर्याप्त है।

8. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को स्थापित किया जाना है:-

i. मेन्स रीआ
ii. बेईमानी से गबन या अपने स्वयं के उपयोग के लिए रूपांतरण, या किसी कानूनी निर्देश या किसी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए उपयोग किया जाना चाहिए
iii. अभियुक्त ने बेईमानी से संपत्ति का उपयोग या निपटान किया ।

9. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, जैसा कि मामले की जांच के दौरान पुलिस द्वारा सही निष्कर्ष निकाला गया है कि शिकायतकर्ता के पास याचिकाकर्ता को कथित धनराशि सौंपने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, जो कि भूमि की खरीद के लिए बड़ी राशि के लेन-देन के किसी भी मामले में बहुत ही असंभव है और चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा संपत्ति के बेईमानी से दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है, इसलिए, यह अदालत इस विचार पर है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री, आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए अपर्याप्त है।

10. जहां तक आईपीसी की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध का सवाल है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2019) 14 एससीसी 207** में रिपोर्ट किए गए मामले में माना है, जिसका पैरा 24 इस प्रकार है:-

> **"24.** अब हम अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों पर वापस आते हैं। आरोप यह है कि अपीलकर्ता दो या तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ, जिनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर थी, शिकायतकर्ता के घर आया और उसे गंदी भाषा में गाली दी और उस पर हमला करने का प्रयास किया और जब कुछ पड़ोसी वहां पहुंचे तो अपीलकर्ता और उसके साथ आए अन्य व्यक्ति मौके से भाग गए। उपरोक्त आरोप अपने मूल स्वरूप में धारा 504 और 506 के तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त दो निर्णयों में उल्लेख किया है। जानबूझकर किया गया अपमान इस हद तक होना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाए। केवल यह आरोप कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के पास आकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, फियोना श्रीखंडे [फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 14 एससीसी 44: (2014) 1 एससीसी (क्रि) 715] में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 13 में निर्धारित तत्वों को संतुष्ट नहीं करता है।"

केवल यह आरोप कि अभियुक्त ने आकर शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध के तत्वों को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए, इस आरोप के अभाव में कि उकसावे का उद्देश्य या यह जानना था कि शिकायतकर्ता सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उसे प्रेरित करेगा, इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप भी भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए अपर्याप्त हैं।

11. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि, जिस अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, वह अपराध नहीं बनता है, भले ही एफआईआर में लगाए गए आरोप पूरी तरह से सत्य बताए गए हों; इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का

दुरुपयोग होगा। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है, जहां विरोध-सह-शिकायत केस संख्या 746/2019 से उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, विरोध-सह-शिकायत मामला संख्या 746/2019 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

13. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांक 29 जनवरी, 2024
Smita /AFR

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।